


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 SL/19

तारीखरजू-27-11-19

उनवान:- भरोसी बनाम ओमप्रकाश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र	फर्द अहकाम
11-19	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 23.12.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 265/0.68 है0 ग्राम बीजलवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली में मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>

5642-47
27-11-19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ

फर्द अहकाम

दिनांक

Not
Press

5-12-18

प्राची एवं प्राची वकील ने उपस्थित होकर मूल दावा Not Press में खारिज करा लिया था तथा इस प्राची पत्र को भी Not Press में खारिज करने स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः यह प्राची पत्र आख्याई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फेंसल शुमार होकर जम्मा से कम होकर दावा पत्रावली के साथ मिलान रहे।

मि० भरोसी
राजेश्वर
(राम अर्ज)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (कसैली)

